राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची – 834001

Website : secjharkhand.nic.in
Email : secjharkhand@yahoo.co.in
secjharkhand@gmail.com
फैक्स:0651– 2284002/2280287/2280932
दूरभाष:0651–2284012/2284008/6457479

नगरपालिका निर्वाचन, 2018
अतिमहंत्वपूर्ण

पत्रांकः–03नि0 / विविध–136 / 2012 रा0नि0आ0 390 राँची, दिनांक 15-3-18

प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र कुमार,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषय: नगरपालिका (आम / उप) निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों को देय मानदेय की राशि के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास विभाग द्वारा लोकसभा / विधानसभा निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों के अनुरूप नगरपालिका (आम / उप) निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों को मानदेय की राशि स्वीकृति हेतु संकल्प संख्या 1795 दिनांक 19.05.2015 निर्गत है, जो नगरपालिका (आम / उप) निर्वाचन, 2018 में भी प्रभावी होगी।

अतः उक्त संकल्प की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जाता है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त।

15/03/18

सचिव

139

राज्य निर्वाचन आयुक्त

228
19.5.15

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

संकल्प

O(M)

संख्या–4 / न०वि० / चुनाव / 101 / 2015–................. राँची, दिनांक 19/5/15

विषय:– लोकसभा / विधानसभा निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों के अनुरूप नगरपालिका (आम) निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों को मानदेय की राशि स्वीकृति।

19/5/15

राज्य के 8 (आठ) शहरी स्थानीय निकायों यथा:–धनबाद / देवघर नगर निगम, चास / झुमरीतिलैया / चक्रधरपुर नगर परिषद एवं कोडरमा / विश्रामपुर / मंझियाव नगर पंचायत में जून, 2010 में नगरपालिका (आम) निर्वाचन सम्पन्न कराया गया था। 5 (पाँच) वर्षो की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् अप्रैल–मई 2015 में उक्त नगर निकायों में नगरपालिका (आम) निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है।

2. राज्य के 28 (अठाईस) शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2008 में प्रथम चरण का नगरपालिका (आम) निर्वाचन सम्पन्न कराया गया था। 5 (पाँच) वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात अप्रैल–2013 में इन 28 (अठाईस) नगर निकायों में द्वितीय चरण का नगरपालिका (आम) निर्वाचन सम्पन्न कराया गया है। पुनः इन 28 (अठाईस) नगर निकायों में वर्ष–2018 में तृतीय चरण का नगरपालिका (आम) निर्वाचन सम्पन्न कराया जायगा।

1795
19/05/15

3. लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों को चुनाव कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु नियमित वेतन के अतिरिक्त अलग से मानदेय राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

4. राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के अर्द्ध–सरकारी पत्र संख्या–SECC/10/15, दिनांक–04 फरवरी, 2015 के द्वारा अनुरोध किया गया है कि लोकसभा / विधानसभा निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों के समतुल्य नगरपालिका (आम) निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों को मानदेय की राशि स्वीकृत किया जाय।

5. नगरपालिका (आम) निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के क्रम में पदाधिकारियों / कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। लोकसभा / विधानसभा निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों को जितना श्रम एवं शक्ति लगती है उसी के अनुरूप नगरपालिका (आम) निर्वाचन सम्पन्न कराने में भी प्रतिनियुक्त कर्मियों को उतना ही श्रम एवं शक्ति लगानी पड़ती है। उक्त परिपेक्ष्य में लोकसभा / विधानसभा निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों के समतुल्य नगरपालिका (आम) निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों को मानदेय की राशि दिया जाना हर दृष्टिकोण से उचित है।

6. दिनांक–12.05.2015 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–12 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में लोकसभा / विधानसभा निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों के अनुरूप नगरपालिका (आम) निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मियों को मानदेय की राशि निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है :–

क्र०	पदाधिकारी / कर्मियों का पदनाम	मानदेय की न्यूनतम राशि
i	सेक्टर ऑफिसर / जोनल मजिस्ट्रेट	1500 / – एकमुश्त
ii	पीठासीन अधिकारी / मतगणना पर्यवेक्षक	350 / – प्रतिदिन या उसके अंश
iii	मतदान पदाधिकारी / मतगणना सहायक	250 / – प्रतिदिन या उसके अंश
iv	समूह 'घ' के कर्मी (Class-IV)	150 / – प्रतिदिन या उसके अंश
v	डब्बा बंद भोजन और / या अल्पाहार	150 / – प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
vi	विडियो सर्विलान्स टीम, विडियो भ्यूविंग टीम, अकाउन्टिंग टीम, एक्सपेन्डिचर मॉनिटरिंग कन्ट्रोल रूम एण्ड कॉल सेन्टर स्टाफ्स; मिडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमिटि, फ्लाइंग स्क्वायड्स, स्टैटिक सर्विलान्स टीम, एक्सपेन्डिचर मॉनिटरिंग सेल	वर्ग–I/II (1200 / – एकमुश्त) वर्ग–III (1000 / – एकमुश्त) वर्ग–IV (200 / – प्रतिदिन)
vii	इन्कम टैक्स इन्स्पेक्टर या समकक्ष	1200 / – एकमुश्त

7. यह संकल्प 12 मई 2015 से प्रभावी माना जायगा।

ह० / –
(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4 / न०वि० / चुनाव / 101 / 2015–............................ राँची, दिनांक–...............................

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधाराण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित / नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त संकल्प की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह० / –
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4 / न०वि० / चुनाव / 101 / 2015–......1795...... राँची, दिनांक–...19/05/15...

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19/5/15

सरकार के सचिव।